प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, सिरोही, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/22 दिनांक 19/2/22

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– ....–................
(3) अधिनियम ....–.................... धाराये :–.............–...............
(4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....–................................

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 406 समय 12:30 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :–**शुक्रवार, दिनांक 18.02.2022, समय 03:05 पी.एम.,**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **17.02.2022 समय 03:30 पी.एम.,**

4. सूचना की किस्म :– **कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा,**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–**चौकी से बदिश पूर्व बफासला करीब 20 कि.मी. दूर।**
(ब) पता :– **पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही,**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   1. **श्री सोमाराम पुत्र श्री ओकाजी, जाति भाट, उम्र 63 वर्ष, पैशा खेती, निवासी नांदिया, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही,**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. **श्री प्रकाशकुमार पुत्र श्री हंजारीमल, जाति माली, उम्र 43 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम खेजड़िया, पुलिस थाना शिवगंज, जिला सिरोही, हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाडा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य **ट्रेप राशि 5000/–रू0,**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,
सिरोही।

विषयः– श्री प्रकाश माली एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने पर कानूनी कार्यवाही हेतु।

महोदयजी,

निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थी सोमाराम पुत्र श्री ओकाजी, जाति भाट, निवासी नांदिया, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही की अरज हैं कि मेरे गांव नांदिया के ही श्री भीमाराम पुत्र श्री जैसाजी घांची वगेरा का शामलाती खेत पशु चराने के लिए किराये पर लिया हुआ हैं, उक्त शामलाती खेत में पांच हिस्सेदार हैं जिसमें से भीमाराम को छोडकर शेष चार हिस्से मेरे किराये पर लिये हुए हैं, भीमाराम का खेत नहीं लिया हुआ हैं, फिर भी भीमाराम मेरे से नाराजगी रखता हैं एंव आज से करीब दस दिन पूर्व भीमाराम ने मेरे विरूद्ध लूट की झूंठी रिपोर्ट पुलिस थाना में की थी, जिसकी जांच के लिए श्री प्रकाश माली एएसआई पुलिस थाना पिण्डवाडा मेरे गांव नांदिया मेरे पास आये व मुझे कहा कि खर्चा पानी लेकर पुलिस थाना आ जाना, नही तो अन्दर टिकवा दूंगा। मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं होने से मैं उसके पास नहीं गया, किन्तु कल से श्री प्रकाश माली एएसआई अपने मोबाईल नं. 9414533809 से मेरे मोबाईल नं. 7878978517 पर लगातार कॉल कर मुझे पैसे लेकर थाने बुला रहा हैं, किन्तु मेरे विरूद्ध रंजिशन झूंठा मुकदमा होने से मैं प्रकाश माली एएसआई को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। आज अभी कुछ देर पहले भी प्रकाश माली एएसआई ने मुझे उपरोक्त नंबरो से कॉल कर रिको चौकी पिण्डवाडा बुलाया हैं। मेरे चौकी जाते ही वो मेरे से रिश्वत की मांग करेगा, इसलिए मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व प्रकाश माली एएसआई के बिच कोई रंजिश नहीं है व नही कोई लेनदेन बकाया है रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक— 17 / 02 / 2022 — प्रार्थी

एस.डी. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

—एस.डी.— प्रार्थी सोमाराम
सोमाराम S/O श्री ओकाजी,
जाति भाट, निवासी नांदिया, उम्र 63 वर्ष
थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही

एस.डी. गवाह श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक / 18.02.2022

एस.डी. गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक / 18.02.2022

कार्यवाही पुलिस

निवेदन हैं कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 वक्त 3:30 पी.एम. पर प्रार्थी श्री सोमाराम पुत्र श्री ओकाजी, जाति भाट, उम्र 63 वर्ष, पैशा खेती, निवासी नांदिया, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही, मोबाईल नंबर 7878978517 ने ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर मन् डॉ. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर, हाल अतिरिक्त चार्ज भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही के समक्ष मय अपने आधार कार्ड की स्व—प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत की व पुलिस दरियाफ्त पर बताया कि श्री भीमाराम पुत्र श्री जैसाजी घांची, निवासी नांदिया के भाईयों का खेत पशु चराने हेतु मेरे द्वारा किराये पर लिया हुआ हैं, जिसका मैं उन्हें हिस्सेवाईज किराया देता हू, किराये पर लिये हुए उक्त शामलाती खेत में भीमाराम का भी हिस्सा हैं, किन्तु भीमाराम के हिस्से में मेरे पशु नहीं चराता हूं, उल्टा मेरे किराये पर लिये हुए खेत में भीमाराम अक्सर अपने पशु छोड़ देता हैं, इसलिए हमारे बीच एक—दो बार मामूली बहस हुई थी, जिसके बाद भीमाराम मेरे से रंजिश रखने लगा एंव दिनांक 07.02.20222 को भीमाराम ने पुलिस थाना पिण्डवाडा में मेरे विरूद्ध लूट की झूंठी रिपोर्ट पेश की, जिसकी जांच श्री प्रकाश माली ए.एस.आई. पुलिस चौकी रिको—पिण्डवाडा द्वारा की जा रही हैं, इस जांच हेतु हफ्ता भर पूर्व श्री प्रकाश माली एएसआई पुलिस चौकी रिको, थाना पिण्डवाडा मेरे गांव नांदिया मेरे पास आये व मुझे कहा कि खर्चा—पानी लेकर चौकी में आ जाना, नही तो अन्दर टिकवा दूंगा। मैंने बेगुनाह होने का हवाला दिया किन्तु वो नहीं माने, साथ ही भीमाराम की रिपोर्ट झूंठी होने के बारे में उसके परिवार की ही श्रीमति सूजीदेवी पत्नि श्री चौपाराम घांची ने मेरे पक्ष में एंव भीमाराम के विरूद्ध एक ओर रिपोर्ट पेश की, जिसकी जांच भी श्री प्रकाश माली

एएसआई द्वारा की जा रही हैं। मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं होने से मैं अभी तक उनके पास नहीं गया हूं। जिस पर कल से श्री प्रकाश माली एएसआई अपने मोबाईल नं. 9414533809 से मेरे मोबाईल नं. 7878978517 पर लगातार कॉल कर मुझे पैसे लेकर थाने बुला रहा हैं, किन्तु मेरे विरूद्ध रंजिशन झूंठा मुकदमा होने से मैं प्रकाश माली एएसआई को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। आज अभी कुछ देर पहले भी प्रकाश माली एएसआई ने मुझे उपरोक्त नंबरो से कॉल कर रिको चौकी पिण्डवाडा बुलाया हैं। मेरे चौकी जाते ही वो मेरे से रिश्वत की मांग करेगा, इसलिए मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व प्रकाश माली एएसआई के बीच कोई रंजिश नहीं हैं व न ही कोई लेनदेन बकाया हैं। साथ ही परिवादी ने रिपोर्ट अपने विश्वस्त टाईपिस्ट से टाईप करवाकर इस पर स्वयं के हस्ताक्षर कर पेश करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम–2018 की परिभाषा में आने से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया एंव रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय के श्री रमेशकुमार कानि. 119 को कार्यालय कक्ष में तलब कर इनका परिवादी श्री सोमाराम से परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान–प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर चलाने की समझाईस की जाकर श्री रमेशकुमार कानि. नं. 119 को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देकर परिवादी श्री सोमाराम के साथ रिश्वती राशि मांग–सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत कर स्वयं की निजी मोटर साईकिल से रवाना पिण्डवाड़ा की तरफ किया गया। जिन्होनें उसी सांय को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आकर स्वीच ऑफ सुदा डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार चौकी से रवाना सुदा पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाड़ा के पास पंहुचे तो एस.ओ. चौकी के पास ही आम सडक पर नाकाबन्दी करता दिखा, जिस पर मैंने डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री सोमाराम को देकर उसे एस.ओ. के पास भेजा, जो वहीं सडक पर कुछ देर तक एस.ओ. से वार्ता कर पुनः मेरे पास आया व बताया कि आरोपी श्री प्रकाश माली एएसआई ने मेरे केस के बारे में बात कर कल सुबह दस बजे मुझे वापस बुलाया हैं। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर उसे उसकी सकुनत की तरफ रवाना कर उपस्थित आया हूं। जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर सुना गया तो कानि. द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। चूंकि एस.ओ. द्वारा वक्त वार्ता रिश्वती राशि की मांग/खुलाशा नहीं कर परिवादी की पुनः तलबी की हैं, लिहाजा रिश्वती राशि मांग हेतु दूसरे दिन दिनांक 18.02.2022 को प्रातः एस.ओ. के बुलावे अनुसार परिवादी को पुनः मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के भेजना तय कर डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री रमेशकुमार कानि. 119 को पुनः सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क कर उक्तानुसार पुनः रिश्वती मांग सत्यापन हेतु जाने बाबत् निर्देशित किया गया। दिनांक 17.02.2022 की रिकॉर्डिंग वार्ता प्रकरण में उपयोगी नहीं होने से उक्त वार्ता की फर्द मुर्तिब नहीं करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 18.02.2022 को प्रातः निर्देशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गया हुआ कानि. रमेशकुमार मय परिवादी के मध्यान्ह पूर्व ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया व स्वीच ऑफ सुदा डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार प्रातः वक्त 9:00 ए.एम. पर मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये निजी मोटर साईकिल सिरोही से पिण्डवाडा की तरफ रवाना हुआ कि बीच रास्ते में परिवादी श्री सोमाराम ने जरिये मोबाईल कॉल कर बताया कि आरोपी श्री प्रकाश माली ग्राम पंचायत नांदिया में आ रहा हैं एंव मुझे भी ग्राम पंचायत नांदिया में आने हेतु समाचार भिजवाया हैं, इसलिए अब पिण्डवाडा जाने की आवश्यकता नहीं हैं, आप नांदिया पंहुच जाओ, जिस पर मैं ग्राम नांदिया पंहुचा, जहां पूर्व से नियत स्थान पर परिवादी श्री सोमाराम उपस्थित मिले, कुछ देर बाद आरोपी श्री प्रकाश माली एएसआई के ग्राम पंचायत भवन नांदिया पंहुचने की जानकारी मिली, जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री सोमाराम को सुपुर्द कर ग्राम पंचायत कार्यालय नांदिया की तरफ रवाना किया एंव मैं वहीं ग्राम पंचायत भवन के आस–पास स्वयं की उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार में व्यस्त हुआ। करीब एक घण्टा बाद

परिवादी श्री सोमाराम ग्राम पंचायत भवन नांदिया से निकलकर नियत स्थान पर मुझे मिला, जिससे डिजीटल टेप रिकोर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ स्वयं की अभिरक्षा में लिया व आरोपी से हुई वार्ता के संबध में परिवादी से पूछताछ करने पर परिवादी ने बताया कि वार्ता के दोरान आरोपी एएसआई ने मेरे विरूद्ध परिवादी भीमाराम घांची द्वारा की गई झूंठी रिपोर्ट में मेरी मदद करने की ऐवज में पहले दस हजार रू. की मांग की एंव मेरे द्वारा उन्हें कुछ कम करने का निवेदन करने पर इसका आधा यानि कि पांच हजार रू. लेने पर सहमत होकर उक्त रिश्वती राशि आज ही देने का कहा हैं, अर्थात पांच हजार रू. रिश्वती राशि मांग आरोपी द्वारा परिवादी से की गई हैं। तत्पश्चात परिवादी अपने किसी परिचित से रिश्वती राशि पांच हजार रू. की व्यवस्था करके पुनः मेरे पास आया, जिसे हमराह लेकर नांदिया से रवाना सुदा एसीबी कार्यालय पंहुचे हैं। हाजिर परिवादी द्वारा कानि. श्री रमेशकुमार के उपरोक्त कथनों की ताईद की गई। जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को ऑन कर रिकॉर्डिंग वार्ता सुनी गई तो कानि. रमेश के उपरोक्त कथनों की ताईद होते हुए आरोपी द्वारा परिवादी से 5000 रू. रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। साथ ही परिवादी तथा आरोपी के मध्य उक्त राशि का लेन-देन उसी दिन 18.02.2022 को होना तय हुआ, लिहाजा आरोपी श्री प्रकाशकुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस के विरूद्ध उसी रोज ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री अदाराम ए.एस.आई. के माध्यम से जरिये तेहरीर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड सिरोही से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी की जाकर दोनों गवाहान का परिचय प्राप्त कर मन्तव्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ कर पूछने पर परिवादी श्री सोमाराम ने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 5000 रू. साथ लेकर आना बताया, जिस पर हाजिर परिवादी श्री सोमाराम से दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया गया एंव पढाया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मांग-सत्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण वार्ता के अंश (डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग वार्ता समय 08:00 मिनट से 15:00 मिनट तक की 7:00 मिनट का वार्तालाप) डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिवर्स/फोरवर्ड कर दोनों गवाहान को सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी अपने स्तर पर परिवादी से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। समयाभाव की वजह से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स बाद में बनाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी प्रार्थी श्री सोमाराम पुत्र श्री ओकाजी, जाति भाट, उम्र 63 वर्ष, पैशा खेती, निवासी नांदिया, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही से आरोपी श्री प्रकाशकुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री सोमाराम ने भारतीय मुद्रा के दो-दो हजार रू. के दो नोट व पांच-पांच सौ रुपयों के 02 नोट, कुल 5000 रू अपनी शर्ट की जेब से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	BV	505248
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	DA	395528
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	UE	110920
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	KN	289365

कार्यालय अलमारी से फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी श्रीमति ईशुकंवर कानि. नं. 157 से निकलवाकर उक्त 5000 रू. के सभी नोटों को कार्यालय टेबल पर बिछाए गए एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर श्रीमति ईशुकंवर कानि. से लगवाया गया। परिवादी श्री सोमाराम की जामा तलाशी गवाह श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ट सहायक से लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडरयुक्त नोटों को परिवादी सोमाराम के पहनी हुए शर्ट के आगे की बांयी जेब में श्रीमति ईशुकंवर कानि. से रखवाये जाकर

गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, आरोपी श्री प्रकाश माली ए.एस.आई. के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे, इस दौरान आरोपी से हाथ नहीं मिलावे तथा साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री प्रकाश माली ए.एस.आई. द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं ? इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल/मिसकॉल कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति ईशु कंवर कानि. के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग इस तरह से परिवर्तित होकर गुलाबी या हल्का झांईदार गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर श्रीमति ईशुकंवर कानि. से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु उपयोग में लिए गए अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन–देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात चौकी हाजा पर जाब्ता की कमी होने से ब्यूरो कार्यालय को तालाबन्द करवाकर चाबी श्री अदाराम ए.एस.आई. को सुपुर्द कर परिवादी श्री सोमाराम को साथ लेकर मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ट सहायक व श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री अदाराम स.उ.नि., श्री रविन्द्रकुमार हैड कानि. 28, श्री सोहनराम कानि. नं. 361, श्रीमति ईशुकंवर कानि. 157 व श्री रमेशकुमार कानि. 119 मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड व अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 0819 श्री रणवीर मनावत कानि. चालक व प्राईवेट वाहन स्वीफ्ट डिजायर के ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो सिरोही से रवाना होकर रिको औद्योगिक क्षेत्र पिण्डवाड़ा में स्थित पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाडा के पास पंहुच राजकीय व निजी वाहनों को रोककर परिवादी श्री सोमाराम से एक बार पुनः रिश्वती राशि लेन–देन के संबध में मुनासिब समझाईश कर आस–पास की लोकेशन का नजरी अवलोकन कर ट्रेप दल को आवश्यक ब्रीफिंग की गई। बाद परिवादी श्री सोमाराम को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर आरोपी श्री प्रकाशकुमार एएसआई से रिश्वती राशि लेन–देन बाबत् सम्पर्क करने हेतु रवाना पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाडा की तरफ किया गया। चूंकि नजरी अवलोकन से पुलिस चौकी के पीछे की तरफ छोटी दीवार होने से इस तरफ से आरोपी के भागने की संभावना के मध्यनजर हमराह जाब्ता के श्री अदाराम एएसआई व श्री सोहनराम कानि. को मुनासिब हिदायत कर पुलिस चौकी के पीछे की तरफ भेजा गया, मन् अतिरिक्त पुलिस मय शेष समस्त हमराहियान चौकी के मैन गेट की तरफ नजर रखते हुए वहीं आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए।

कुछ समय पश्चात रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री सोमाराम ने पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाड़ा के कार्यालय भवन से बाहर सड़क पर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने

सिर पर दो–तीन बार हाथ फेरकर रिश्वत राशि लेन–देन होने की सूचना दी, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान मय वाहनों के उक्त पुलिस चौकी के गेट पर आकर वाहनों से उतरकर सभी परिवादी श्री सोमाराम के पास पहुंचे तो परिवादी ने कहा कि अन्दर बैठा हैं एंव पैसे ले लिए हैं, टेबल की दराज में रखवाये हैं। जिस पर परिवादी को हमराह लेकर सभी पुलिस चौकी के कार्यालय भवन के गेट पर पंहुचे तो परिवादी ने बांयी साईड के प्रथम रूम की तरफ हाथ से ईशारा किया, इस दोरान चौकी के पीछे की तरफ तैनात श्री अदाराम एएसआई व श्री सोहनराम कानि. भी उपस्थित आये, जिन्हें हमराह लेकर परिवादी द्वारा निशांदेह उक्त रूम में प्रवेश किया व सामने पलंग पर बैठे खाना खा रहे एक व्यक्ति को एक्सीडेन्ट होने का बहाना कर श्री प्रकाशकुमार ए.एस.आई. के बारे में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछा गया तो उक्त खाना खा रहे व्यक्ति ने पलंग पर बैठे–बैठे ही कहा कि वो तो बाहर गये हैं, जिस मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरोपी की तलाश हेतु उक्त रूम से बाहर निकला तो परिवादी ने कहा कि यह ही हैं प्रकाश एएसआई, जिस पर पुनः उक्त रूम में पंहुच परिवादी श्री सोमाराम से पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखा, व खाना खा रहे व्यक्ति को अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत कराते हुए उक्त का परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने हड़बड़ाते हुए अपना परिचय श्री प्रकाशकुमार पुत्र श्री हंजारीमल, जाति माली, उम्र 43 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम खेजड़िया, पुलिस थाना शिवगंज, जिला सिरोही, हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाडा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही, मोबाईल नं. 9414533809 के रूप में दिया। जिस पर उक्त श्री प्रकाशकुमार ए.एस.आई. को परिवादी श्री सोमाराम को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि हां, मैं इन्हें पहचानता हूं ये श्री सोमाराम निवासी नांदिया हमारे पुलिस थाना पिण्डवाड़ा के एच.एस. हैं, इनके विरूद्ध एक परिवाद की जांच मेरे द्वारा की जा रही हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने इनसे कोई राशि नहीं ली हैं, मैं खाना खा रहा था, ये अन्दर आये व अपनी इच्छा से मेरे टेबल की देराज में कुछ राशि रखकर वापस बाहर निकल गये, मैंने मेरे हाथों में इनसे कोई राशि नहीं ली हैं, तथा न ही अभी तक इनके द्वारा मेरे टेबल की देराज में रखी राशि के हाथ लगाया हैं। जिस पर हाजिर परिवादी श्री सोमाराम ने आरोपी श्री प्रकाशकुमार ए.एस.आई. के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि ये बिल्कुल झूंठ बोल रहे हैं, मेरे विरूद्ध भीमाराम घांची द्वारा की गई झूंठी रिपोर्ट की जांच हेतु ये आज प्रातः मेरे गांव नांदिया आये थे, जहां पंचायत भवन में मुझे बुलाकर इन्होनें मेरे से 10,000 रू. रिश्वत की मांग की व मेरे द्वारा बहुत अधिक होने का कहने पर इन्होनें इनका आधा यानि 5000 रू. आज ही देने का कहा, जिस पर मैं अभी कुछ देर पहले इनके पास 5000 रू. लेकर पंहुचा तो ये अपने कार्यालय कक्ष के पिछले हिस्से में पलंग पर बैठे खाना खा रहे थे, मुझे देखते ही कहा कि वो घांची नहीं आया क्या ? तब मैंने कहा कि वो आ रहा हैं, मैं आपका व्यवहार (पैसे) लेकर आया हूं, जिस पर इन्होनें मुझे कहा कि कितने लाया हैं, तब मैंने कहा कि 5000 लेकर आया हूं, तब इन्होनें मुझे कहा कि क्यों ? 10,000 का कहा था, इतने ही क्यों लाया हैं, तब मैंने कहा कि साहब गरीब आदमी हूं ये भी मैंने बडी मुश्किल से किये हैं। तब इन्होनें पलंग से उठकर अपने टेबल के बांयी साईड की देराज खोलकर कहा कि इसमें रख के बाहर बैठ जा, तब मैंने मेरे शर्ट की जेब से रिश्वती राशि 5000 रू. निकालकर इनके द्वारा खोली गई देराज में रख दिये, तो इन्होनें देराज वापस बन्द की व पंलग पर बैठकर खाना खाने लगे, मैं इनके कक्ष से निकलकर बाहर आया व गोपनीय ईशारा किया, जिस पर आप लोग आ गये। जिस पर आरोपित ए.एस.आई. को परिवादी के उपरोक्त तथ्यों के संबध में पुनः पूछा गया तो नजरें नीचे करते हुए कहा कि साहब गलती हो गई हैं, किन्तु मैंने अभी तक इस राशि के हाथ नहीं लगाया हैं, इसलिए मुझे माफ करो। जिस पर आरोपी को ढाढंस बंधाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करते हुए स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ट सहायक से आरोपी श्री प्रकाशकुमार ए.एस.आई के टेबल के बांयी साईड की देराजों को क्रमवार चैक करने हेतु कहा जाने पर गवाहान द्वारा प्रथम देराज खोलकर देखा गया तो देराज में भारतीय मुद्रा के 2000–2000 व 500–500 रू0 के नोट एक खाली लिफाफे पर रखे पाये गये, उक्त राशि को लिफाफे सहित स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ट

सहायक से ही उठवाकर गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 2000–2000 रू. के 02 नोट व 500–500 रू0 के 02 नोट, कुल राशि 5000 रू0 होने पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ट सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई, तथा रिश्वती राशि के नोटों के सम्पर्क में आए लिफाफे के ऊपरी भाग का अवलोकन किया गया तो लिफाफे पर "भारतीय डाक विभाग" प्रिन्ट होकर भारतीय डाक का लोगो बना हुआ तथा प्रेषक के नीचे "मैनेजर पोस्टल लाईफ इश्योरेन्स सी.पी.सी. सिरोही एचपीओ–307001" की सील्डमोहर लगी हुई तथा लिफाफे पर प्रेषित/टू श्री प्रकाशकुमार पुत्र श्री हंजारीमल जी गांव खेजडिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान, 307001 हस्तलिखित अंकित किया हुआ पाया गया। अर्थात लिफाफा आरोपी श्री प्रकाशकुमार का होकर उनकी टेबल की देराज में रखा हुआ जिस पर रिश्वती राशि के नोट रखे हुए पाये गये। रिश्वती राशि के सम्पर्क में आए लिफाफे के संबधित भाग पर पेन से घेरा बनाकर निशांदेह किया जाकर इस पर मार्क A अंकित किया गया तथा उक्त भाग मार्क A (रिश्वती राशि बरामदगीस्थल) का धोवन लेने हेतु पुलिस चौकी के कैम्पर में से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे एक साफ गिलास में भरकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में स्थान मार्क A पर एक सफेद कपड़े के टुकड़े (चिन्दी) को तीन–चार बार रगड़–रगड़ कर उक्त कपड़े के टुकड़े को गिलास में डुबोकर हिलाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने हल्का झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियो में आधा–आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपों पर मार्क A–1 एवं A–2 अंकित कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा धोवन में प्रयुक्त चिन्दी पर मार्क A–3 अंकित कर लिफाफे का भाग मार्क A व चिन्दी मार्क A–3 को कुछ देर तक धूप में सुखाकर दोनों पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर दोनों (मार्क A व मार्क A–3) को एक कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर इस पर मार्क B अंकित किया गया। तत्पश्चात दस्तियाब सुदा आरोपी श्री प्रकाशकुमार ए.एस.आई. को परिवादी श्री सोमाराम से संबधित कार्यवाही दस्तावेजात प्रस्तुत करने का कहा जाने पर इसी कक्ष में स्वयं की टेबल पर रखी पैड को खोलकर इसमें से परिवादी से संबधित दस्तावेजात निकालकर पेश किये, जिनका रूबरू गवाहान अवलोकन करने पर परिवादी से संबधित दस्तावेजात पाये गये, जो प्रकरण में वांछित होने से इन्हें पृथक से जरिये फर्द जब्त करने का निर्णय लिया जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाये गये। इस दौरान चौकी भवन के आस–पास व बाहर सडक पर आम लोगों की भीड़ एकत्रित होनी प्रारंभ हो गई, जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही एसीबी कार्यालय सिरोही पंहुच करने का निर्णय लिया गया। किन्तु चौकी रवानगी से पूर्व प्रकरण हाजा में घटना/रिश्वती राशि बरामदगीस्थल का निरीक्षण तथा आरोपी के कार्यालय कम निवास कक्ष की खाना तलाशी ली जानी आवश्यक होने से रूबरू गवाहान व आरोपी के क्रमवार उक्त दोनों कार्यवाहियां सम्पन्न की जाकर फर्दे मुर्तिब कर इन पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर दोनों फर्दे शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात दस्तियाब सुदा आरोपी श्री प्रकाशकुमार ए.एस.आई. को हमराह लेकर मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ट सहायक व श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री अदाराम स.उ.नि., श्री रविन्द्रकुमार हैड कानि. 28, श्री सोहनराम कानि. नं. 361, श्रीमति ईशुकंवर कानि. 157 व श्री रमेशकुमार कानि. 119 मय धोवन के सैम्पल, चिन्दी, लिफाफा आदि के सील्डयुक्त पैकेट तथा रिश्वती राशि सहित ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या

आरजे 14 यूए 0819 श्री रणवीर मनावत कानि. चालक व प्राईवेट वाहन स्वीफ्ट डिजायर के पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाड़ा से रवाना होकर ए.सी.बी. कार्यालय सिरोही पंहुच अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ट सहायक जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 2000–2000 रू. के 02 नोट व 500–500 रू0 के 02 नोट कुल राशि 5000 रू. होने पाये गये। गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ट सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। जिस पर उक्त राशि को एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क–M अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप सुना गया तो रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसकिप्ट पृथक से मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। आरोपी के विरूद्ध की गई इस कार्यवाही की सूचना आरोपी के विभागीय अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिरोही व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिरोही को जरिये मोबाईल दी गई। पूछताछ पर आरोपी ने अपने पिता जो व्याख्याता के पद से सेवानिवृत हैं, के साथ अपनी फैमिली का संयुक्त परिवार के रूप में अपने ग्राम खेजड़िया में निवास होना बताया, जिस पर गोपनीय रूप से आरोपी की आय–व्यय व संपति के सम्बन्ध में मालुमात करवाया गया तो परिवार की लेन–देन आरोपी के पिता द्वारा करना व आरोपी द्वारा अपने स्तर पर भारी मात्रा में आय से अधिक संपति संकलित करना सामने नहीं आने से आरोपित के निवास की खाना तलाशी नहीं लेने का निर्णय लिया गया। इस ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित हालात ब्यूरो के उच्च अफसरान को निवेदन किए गए। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वत राशि बरामदगी व बरामदगी स्थल की धोवन कार्यवाही मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल मिशल की गई।

तत्पश्चात आरोपी का कोविड–19 परीक्षण करवाया गया, आरोपी श्री प्रकाशकुमार ए. एस.आई. से प्राप्त सुदा परिवादी श्री सोमाराम से संबधित कार्यवाही दस्तावेजात जो बाद अवलोकन स्वतन्त्र गवाह श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, जो उक्त गवाहान से प्राप्त कर पुनः अवलोकन कर रूबरू गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ब कायदा उक्त दस्तावेजात का अवलोकन एंव अध्ययन्न कर प्रकरण में वांछित होने से उक्त दस्तावेजात हस्ब कायदा जब्त कर फर्द जब्ती दस्तावेजात मुर्तिब कर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री प्रकाशकुमार ए.एस.आई. पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाडा, जिला सिरोही के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रमाणित पाया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार अज खुद उपस्थित आए आरोपी के सगे भाई श्री भंवरलाल को रूबरू दी गई।

तत्पश्चात आरोपी श्री प्रकाशकुमार एएसआई व परिवादी श्री सोमाराम के मध्य दिनांक 18.02.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग–सत्यापन व रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप, जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड थी, को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री सोमाराम के बारी–बारी से सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट्स क्रमशः रिश्वती राशि मांग–सत्यापन वार्तालाप व रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप पृथक–पृथक मुर्तिब कर इन पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर दोनों फर्दे शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के कम्पयुटर के माध्यम से दोनों वार्तालापों की दो–दो सी.डी. तैयार कर इनमें से प्रत्येक वार्ता की एक–एक सीडी को मूल मानते हुये इन्हें अलग–अलग दो कपड़े की थेलियों में डालकर

सील मोहर कर मांग सत्यापन वार्तालाप की सीडी के सील्डयुक्त पैकेट पर मार्क–D व लेन–देन वार्ता की सीडी के सील्डयुक्त पैकेट पर मार्क–L अंकित कर दोनों थेलियों पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एंव प्रत्येक वार्ता की एक–एक सी.डी. को डब मानते हुये खुला रखा गया। उक्त रिकॉर्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री प्रकाशकुमार एएसआई व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री सोमाराम द्वारा की गई। आरोपी का राजकीय चिकित्सालय सिरोही से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली सिरोही की हवालात में जमा करवाया गया। प्रकरण में उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न कर परिवादी श्री सोमाराम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री अमृतलाल कनिष्ठ सहायक को फॉरिक कर अपने–अपने गन्तव्य हेतु रूखसत दी गई। कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 5000 रू0 शील्ड सुदा, धोवन की शीशियां मार्क A–1 व A–2, रिश्वती राशि बरामदगीस्थल मार्क A के धोवन हेतु प्रयुक्त कपड़े की चिन्दी मार्क A–3 व मार्क A से संबधित लिफाफे का सील्डयुक्ट पैकेट मार्क–C, रिश्वती राशि मांग–सत्यापन वार्तालाप की मूल सीडी मार्क–D व रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की मूल सीडी मार्क–L तथा उक्त की दोनों डब सीडियां आदि मालखाना आईटम्स प्रभारी मालखाना श्री अदाराम ए.एस.आई. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री प्रकाशकुमार ए.एस.आई. को आईन्दा माननीय विशिष्ठ न्यायालय, भ्र.नि.अ. पाली के समक्ष पेश कर आरोपी के संबध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले आदेशों की पालना होगी।

उपरोक्त हालात से आरोपी श्री प्रकाशकुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाड़ा, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री सोमाराम निवासी नांदिया के विरूद्ध परिवादी श्री भीमाराम घांची निवासी नांदिया द्वारा की गई लूट संबधित परिवाद की जांच परिवादी के पक्ष में करने की ऐवज में बेतोर जांच अधिकारी उक्त आरोपित एएसआई द्वारा दिनांक 18.02.2022 को परिवादी श्री सोमाराम से 10,000 रू. रिश्वत राशि की मांग की गई तथा परिवादी के आग्रह पर उक्त का आधा यानि कि 5000 रू. लेने पर सहमत होते हुए उक्त रिश्वती राशि उसी दिन यानि कि दिनांक 18.02.2022 को ही लिया जाना तय करने के फलस्वरूप आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के आयोजन पर पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाड़ा में आरोपी द्वारा परिवादी से 5000 रू. रिश्वती राशि मांग कर अपने कार्यालय कक्ष में स्वयं की टेबल के बांयी साईड की प्रथम देराज में रखवाये गये, जो वक्त कार्यवाही रूबरू गवाहान उक्त टेबल की देराज में से बरामद किये जाकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफतार किया जाने से आरोपी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

अतः **आरोपी श्री प्रकाशकुमार** पुत्र श्री हंजारीमल, जाति माली, उम्र 43 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम खेजड़िया, पुलिस थाना शिवगंज, जिला सिरोही, हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी रिको–पिण्डवाड़ा, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(डॉ. महावीरसिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सिरोही,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीरसिहं राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री प्रकाश कुमार, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी रीको-पिण्डवाड़ा, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 54/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांक 496-500 दिनांक 19.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सिरोही।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही।

19.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर